न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 06/2019

अनवान :

किशनलाल पुत्र गोपालराम ब्राहम्ण निवासी अनूपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत अनूपशहर जरिऐ सरपंच।
2. महेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र गोविन्दराम गर्ग जाति महाजन निवासी अनुपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

– रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत दिनांक 12.02.2016 जिसके आधार पर इंतकाल नम्बर 1816 आधा बीघा यानि 10 हिस्सा कृषि भूमि का बैयनामा दिनांक 15.03.2012 के आधार पर दर्ज किया है। उसे अपास्त एवं निरस्त करने बाबत।

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **अपीलान्ट**
वकील श्री सुरजीत बिजारणिया : **रेस्पोडेन्ट सं0 2**

निर्णय **दिनांक :** 04.09.2019

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं0 2 महेन्द्र कुमार ने अपीलार्थी किशनलाल से दिनांक 15.03.2012 को गांव अनूपशहर की रोही के खसरा सं0 1031/754 की 3.0100 है0 भूमि में मेरे हिस्से की भूमि में से 10 हिस्सा यानि 1/2 बीघा जमीन कीमतन खरीद कर सब रजिस्ट्रार भादरा के कार्यालय में बैयनामा तस्दीक करवा दिया और महेन्द्र कुमार ने उक्त बैयनामा का इंतकाल नम्बर 1330 पटवारी से दर्ज करवाकर गिरदावर से मिलान करवाकर दिनांक 20.03.2012 को ग्राम पंचापत अनूपशहर से तस्दीक करवा लिया और जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 में उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली।

इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपीलार्थी से दिनांक 15.03.2012 को खरीदी गई भूमि का बैयनामा के आधार पर अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवा लिया और जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम से 10 हिस्सा कृषि भूमि जमाबन्दी में उनके नाम से दर्ज हो गई और अपीलार्थी के खाता में से उसके हिस्सा में से 10 हिस्सा भूमि कम कर दी गई।

अपीलार्थी दिनांक 02.07.2019 को अपने उक्त खाता की कृषि भूमि पर केसीसी बनाने के लिए पटवारी हल्का के पास चालू खाता की जमाबन्दी व इंतकाल की नकलें ली तो अपीलान्ट को पहली बार मालुम हुआ कि रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने अपीलार्थी द्वारा अपनी खरीदी गई 10 हिस्सा यानि आधा बीघा कृषि भूमि जिसका बैयनामा दिनांक

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

15.03.2012 को दर्ज करवाया था और उसका इंतकाल भी उसके नाम से तस्दीक हो गया था, का दोबारा इंतकाल अपने नाम दर्ज करवा लिया।

दिनांक 12.02.2016 को रेस्पोडेन्ट सं0 2 ग्राम पंचायत अनूपशहर का सरपंच था और उसने धोखाधडी बेईमानी से अपीलांट की जमीन हड़प करने के लिए दिनांक 15.03.2012 को खरीदी गई कृषि भूमि जिसका इंतकाल उसके नाम 20.03.2012 को तस्दीक हो चुका का दोबारा उसी बैयनामा के आधार पर पुनः पटवारी हल्का से इंतकाल नम्बर 15.03.2012 के आधार पर 09.02.2016 को पटवारी हल्का से इंतकाल दर्ज करवाकर दिनांक 12.02.2016 को रेस्पोडेन्ट सं0 2 महेन्द्र कुमार ने स्वयं सरपंच की हैसियत से एक अवैध शुन्य व बेअसर नामान्तरण अपने नाम स्वीकृत कर तस्दीक करवा लिया जो अपनी जात से शुन्य बेअसर होने के कारण निरस्त एवं अपास्त किऐ जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट सं0 2 महेन्द्र कुमार को कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है कि वह बैयनामा दिनांक 15.03.2012 जिसके द्वारा उसने अपीलार्थी से 10 हिस्सा भूमि खरीद की थी, का 2 बार अपने नाम इंतकाल दर्ज करवा ले और दो बार अपीलार्थी की 10–10 हिस्सा जमीन जमाबन्दी में उसके खाता में से कम कर 2 बार 10–10 हिस्सा कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवा ले। रेस्पोडेन्ट सं0 2 महेन्द्र कुमार द्वारा इंतकाल नं0 1816 दिनांक 12.02.2016 को तस्दीक करते समय न तो अपीलार्थी को नोटिस दिया व ना ही कोई सूचना दी व ना ही उसे पता लगने दिया व गुप्त रूप से छुपे तौर पर उसने अपराधिक तरीके से शुन्य व बेअसर इंतकाल अपने नाम दर्ज कर तस्दीक करवा लिया।

इस प्रकार रेस्पोडेन्ट महेन्द्र कुमार के पक्ष में बैयनामा दिनांक 15.03.20125 जिसके आधार पर पूर्व में इंतकाल नम्बर 1330 दिनांक 20.03.2012 को तस्दीक हो गया था उसी बैयनामा दिनाक 15.03.2012 के आधार पर पुन दोबारा इंतकाल नम्बर 1816 जो स्वयं के नाम व स्वयं ही सरपंच की हैसियत से दिनांक 12.02.2016 को तस्दीक किया गया, वह कानूनन कतई अवैध शुन्य व बेअसर तथा निरस्त व अपास्त होने योग्य है। दिनांक 02.07.2019 से पूर्व अपीलांट को उक्त नामान्तरण नं0 1816 की कोई जानकारी नहीं थी ना ही उसे किसी प्रकार से उक्त इंतकाल का पता लगने दिया। अपीलान्ट को प्रथम बार इंतकाल का दिनाक 02.07.2019 को ज्ञान हुआ है। इसलिए जानकारी दिनांक 02.07.2019 से अपील अन्दर अवधि है।

अपील अपीलान्ट प्रस्तुत होने के उपरान्त रेस्पोडेन्टस को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने जबाब दावा पेश क़र कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं0 2 के द्वारा खरीद की गई खातेदारी का इन्तकाल रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम से दर्ज हो जाने से इन्कारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 द्वारा खरीद की गई खातेदारी का नियमानुसार इन्तकाल दर्ज हो गया था तथा अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम से सहबंन से उसी बैयनामा के आधार पर पुनः इन्तकाल दर्ज हो गया था जबकि मिन रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने की अपीलान्ट से सिर्फ 10 हिस्सा भूमि ही खरीद की गई थी तथा 10 हिस्सा भूमि का ही कब्जा दिया गया था। परन्तु सहबन से हल्का पटवारी के द्वारा उसी बैयनामा का पुनः इन्तकाल दर्ज कर दिया जो अन्य इन्तकालों के साथ साथ पुनः तस्दीक हो गया था। दुबारा किये गये इन्तकाल का अप्रार्थीगण निरस्त करवाने में पूर्णतया सहमत व रजामंद है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दोराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए इंतकाल सं0 1816 दिनांक 12.02.2016 को अपास्त एवं निरस्त फरमाये जाने रेस्पोडेन्ट सं0 2 के दर्ज 10 हिस्सा ज्यादा भूमि को कम कर अपीलान्ट के नाम पूनः राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भरतपुर (जिला-भरतपुर)

रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने अपनी बहस में जाहिर किया कि उसके द्वारा अपीलान्ट से ग्राम अनूपशहर की रोही में 10 हिस्सा कृषि भूमि ही खरीद की गई थी तथा 10 हिस्सा भूमि का ही कब्जा दिया गया था। परन्तु सहबन से हल्का पटवारी के द्वारा उसी बैयनामा का पुनः इन्तकाल दर्ज कर दिया जो अन्य इन्तकालों के साथ साथ पुनः तस्दीक हो गया था। दुबारा किये गये इन्तकाल को निरस्त करवाने में पूर्णतया सहमत व रजामंद है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण अपीलान्ट ने रोही मौजा ग्राम अनूपशहर के इंतकाल सं0 1816 दिनांक 12.02.2016 को अपास्त एवं निरस्त फरमाये जाने व रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम जमाबन्दी में दर्ज 10 हिस्सा ज्यादा भूमि को कम कर अपीलान्ट के नाम पूनः राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु पेश किया है। अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में बैयनामा दिनांक 15.03.2012 पेश किया है जिससे विक्रय कर्ता किशनलाल द्वारा क्रेता महेन्द्र कुमार गर्ग को ग्राम अनूपशहर के खाता सं0 351/316 के खसरा सं0 1031/754 की संयुक्त खाता की कुल 3.0100 है0 कृषि भूमि बारानी खातेदारी के 49–1/2 हिस्सा में से 10 हिस्सा अर्थात् 0.1265 है0 कृषि भूमि बेचान कर बैयनामा तस्दीक करवाया जाना स्पष्ट है तथा रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने भी अपीलान्ट की अपील के तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपनी बहस, जबाब अपील व प्रस्तुत चित्रप्रति वाहमी राजीनामा में दिनांक 15.03.2012 को निस्पादित बैयनामा के आधार पर ही नामान्तरकरण सं0 1330 दर्ज होना व उसी बैयनामा के आधार पर सहबन से दूसरी बार नामान्तरकरण सं0 1816 दिनांक 12.02.2016 को दर्ज होना व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 ग्राम अनूपशहर में अपीलान्ट की 10 हिस्सा भूमि सहबन से दुबारा रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज होना स्वीकार किया है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत : अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल सं0 1816 दिनांक 12.02.2016 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार राजस्व भादरा को पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि ग्राम अनूपशहर की चालु जमाबन्दी में बैयनामा दिनांक 15.03.2012 के जरिऐ इन्तकाल सं0 1816 दिनांक 12.02.2016 के अनुसरण में जो महेन्द्र कुमार गर्ग के नाम 10 हिस्सा कृषि भूमि अधिक दर्ज की गई है वह प्रविष्टि हटाई जाकर एवं पून : नामान्तरण रजिस्टर खोला जाकर अपीलान्ट किशनलाल के नाम उक्त 10 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की कार्यवाही अमल में लाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4.9.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़